

# कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2016, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 02, 2016

## आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अक्टूबर 2016 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत् निर्गत किया जाता है:-

क्र०सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि
1	2	3	4
1	पीठ-1 आगरा पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा पीठ-1 व 2 आगरा	03.10.16 से 07.10.16 24.10.16 से 29.10.16
2	पीठ-1 इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	03.10.16 से 07.10.16
3	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1, 2, 3, व 4 कानपुर	17.10.16 से 22.10.16
4	पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	17.10.16 से 22.10.16
5	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	24.10.16 से 29.10.16
6	पीठ फ़ैजाबाद	पीठ फ़ैजाबाद	13.10.16 से 15.10.16
7	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	03.10.16 से 07.10.16
8	पीठ-1 लखनऊ पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	03.10.16 से 07.10.16 24.10.16 से 29.10.16
9	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	24.10.16 से 29.10.16

उपरोक्तानुसार गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण के नाम बाद में यथा-समय घोषित किये जायेंगे।

समस्त पीठ कार्यालयों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0 02.09.16

(डी0एस0 त्रिपाठी)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष,

वाणिज्यकर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/2061/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- समस्त सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश को तीन प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि युगल पीठ गठन सम्बन्धी आदेश की एक-एक प्रति राज्यप्रतिनिधि तथा स्थानीय अधिवक्ता बार को हस्तगत करायी जाये।
- सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण, फ़ैजाबाद को उनके पत्र संख्या 430/16 दिनांक 27.08.16 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फ़ैजाबाद में उपरोक्त अवधि के लिए गठित युगल पीठ में युगल पीठ की अन्य अपीलों के साथ कि द्वि0अ0सं0 11/16 व 12/16-सर्वश्री फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया, फ़ैजाबाद बनाम कमिश्नर वाणिज्यकर उ0प्र0 का भी निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.08.2016 के अनुपालन में सुनिश्चित किया जाये।
- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसिएशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर अवगत कराये।
- श्री शिव कुमार अरोरा, अध्यक्ष, उ0प्र0टैक्स बार एसोसिएशन, एस.एस.कालेज रोड, जमुना विहार, खतौली, मुजफ्फरनगर-251201 व श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, महासचिव, उ0प्र0 टैक्स बार एसोसिएशन, एस-5/45, अर्दली बाजार, वाराणसी-221002 को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- श्री आर0एस0 गोयल, अधिवक्ता टैक्सों एकेडमी एण्ड वेलफेयर फोरम वेस्टर्न उ0प्र0, 52 नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरगंज, घंटाघर रोड, मेरठ सिटी को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण, जो टैक्स बार के सदस्य हों, को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- सम्बन्धित पीठ के प्रधान सहायक/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि नियत युगल पीठ में पुराने वादों को पर्याप्त मात्रा में नियत करें।
- वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबन्धक

वाणिज्यकर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।